न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/11/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. जीतू पिता कालू जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मृत्तक के बजाय–
   1/1–शान्तिदेवी पत्नी जीतमल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2–नन्दकिशोर पिता जीतमल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/3–कन्हैयालाल पिता जीतमल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/4–अनितादेवी पुत्री जीतमल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/5–चांदी पुत्री जीतमल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/6–सीता पुत्री जीतमल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. मेवालाल पिता कालू जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/1–चुन्नीबाई पत्नी मेवालाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2–नारायणलाल पिता मेवालाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/3–एजन पिता मेवालाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/4–पुष्पादेवी पुत्री मेवालाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/5–तारादेवी पुत्री मेवालाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा

–वादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 24.03.2026

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि यह कि हल्के बैरूनी कपासन में आराजी नम्बर 2086 रकबा 0.26 हैक्टर, आराजी नंम्बर 4879 रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी नम्बर 4880 रकबा 0.18 हैक्टर कुल कीता 3 कुल रकबा 0.45 हैक्टर स्थित है जो रेवन्यू रेकार्ड में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या एक के संयुक्त खातेदारी से दर्ज है।

यह कि उक्त आराजीयात का मौके पर आपसी बंटवाडा कर रखा है व बंटवाडा अनुसार खातेदार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा मुझ वादी के पक्ष में दिनांक 22/7/1981 को एक इकरार नामा भी पांती बंटवाडा सम्बन्धी निष्पादित कर रखा है। तभी से आराजीयात का मौके पर विभाजन होकर अपने अपने हिस्से में काश्त करते चले आ रहे है। मुझ वादी के कब्जे में जो जमीन है उसके पड़ोस निम्न प्रकार है —

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन

पूर्व:– लालू जी भेरा जी की जमीन

पश्चिम:– राधु जी ब्राह्मण का खेत

उत्तर :– रास्ता, बालारडा जाने का

दक्षिण :– लक्ष्मण जी, नारायण जी कुम्हार का खेत

यह कि वाद वर्णित आराजीयात रेवन्यू रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने से पक्षकारगण वादी व प्रतिवादी संख्या एक के बीच सीमा सम्बन्धी व लगान सम्बन्धी आये दिन विवाद होता रहता है व प्रतिवादी संख्या एक के मन में बदनियन्ती आ जाने की वजह से वह मुझ वादी के हिस्से वाली जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है इस कारण आराजीयात का मौके पर हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर अलग अलग खाते दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। व प्रतिवादी संख्या एक के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह मुझ वादी के हिस्से व कब्जे शुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे व न ही अपने परिवार के किसी सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादी संख्या एक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी न होने की स्थिति में वादी को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं की जा सकेगी।

यह कि दिनांक 02/01/2004 को भी प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी के साथ सीमा सम्बन्धी व लगान सम्बन्धी विवाद हुआ तो वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से कहा कि तहसील में चलकर खाता अलग–अलग करा लेते है तो उसने आना कानी की। यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 02/01/2004 को पैदा हुई व उसके बाद निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

–पक्षवादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात की विभाजन की डिक्री मौके पर हिस्से अनुसार प्रदान की जावे व उसी अनुसार रेवेन्यू रेकार्ड में अलग अलग खाते दर्ज की जाकर लगान भी अलग अलग खाते दर्ज की जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

–वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी फरमाई जावे कि वह मुझ वादी के कब्जे शुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे व न ही अपने परिवार के सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से दिनांक 19.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त वाद पत्र में दिनांक 12.06.2012 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 से प्रस्तुत की गई। वादी व प्रतिवादी संख्या1 के फौत हो जाने से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश हुए। मृत्तक प्रतिवादी के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार का अधिकार पत्र प्रस्तुत व आपत्ति प्रस्तुत की। आज दिनांक को वकील प्रतिवादी हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही की गई व प्रस्तुत आपत्ति खारिज की गई। बहस वाद पत्र अन्तिम वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 24.03.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन में आराजी नम्बर 2086 रकबा 0.26 हैक्टर, आराजी नंम्बर 4879 रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी नम्बर 4880 रकबा 0.18 हैक्टर कुल कीता 3 कुल रकबा 0.45 हैक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

1. शान्तिदेवी पत्नी जीतमल हिस्सा 1/6 जाति खटीक, नन्दकिशोर पिता जीतमल हिस्सा 1/6 जाति खटीक, कन्हैयालाल पिता जीतमल हिस्सा 1/6 जाति खटीक, अनितादेवी पुत्री जीतमल हिस्सा 1/6 जाति खटीक, चांदी पुत्री जीतमल हिस्सा 1/6 जाति खटीक, सीता पुत्री जीतमल हिस्सा 1/6 जाति खटीक सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	2086	0.26	नहरी–1
योग	कुल किता–01	0.26	

2. नारायणलाल पुत्र मेवालाल हिस्सा 1/5, ऐजन चन्देल पुत्र मेवालाल हिस्सा 1/5, तारादेवी पुत्री मेवालाल हिस्सा 1/5, पुष्पादेवी पुत्री मेवालाल हिस्सा 1/5, चुन्नीदेवी पत्नी मेवालाल हिस्सा 1/5 जाति खटीक सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	4879	0.01	आ0खड्डा
2	4880	0.18	नहरी–1
योग	कुल किता–02	0.19	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़